न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–   33 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.ईश्वर गंगवानी पुत्र श्री छगन गंगवानी 02.घनश्याम गंगवानी पुत्र श्री छगन गंगवानी 03.नरेन्द्र गंगवानी पुत्र श्री छगन गंगवानी जाति सिन्धी निवासीगण सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर।		01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम ।

अधिवक्तागणः –

3 प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवडा ।

4 अप्रार्थी की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :– 01.01.2024

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम मोगडा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 234 / 1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर यानि रकबा 12 बीघा आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत सहखातेदार के मालिक काबिज काश्त हैं।प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 243 / 1 1.9425 हैक्टर कृषि भूमि मे निहित अपने हिस्से की भूमि का विकसित करवाना चाहता है इस उद्देश्य से उक्त सम्पूर्ण खसरे की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर अपने हिस्से की भूमि अलग करवाना चाहता है जिस हेतु प्रार्थीगण उक्त सम्पूर्ण खसरे का सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को लेकर जो विवाद आये दिन माठो को लेकर हो रहे है वे समाप्त हो सके इसलिये राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थीगण को उक्त खसरे की सीमाओ का ज्ञान नही होने से प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार लूणी के आदेश से टीम गाठित की जाकर दिनांक 27.01.2023 को राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान करवा दिया गया। प्रार्थीगण ने उक्त गाठित टीम को सीमाज्ञान अनुसार मोके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया ताकि खेत की माठो को लेकर हो रहे विवाद समाप्त हो सके एव प्रार्थीगण पटिटया रोपकर तारबन्दी कर अथवा पक्की दीवार का निर्माण करवा सके लेकिन उक्त टीम द्वारा पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया एव कहा गया कि आपको अपने खसरे की सीमाओ पर पत्थरगढी करवानी है तो सक्षम न्यायालय से पत्थरगढी हेतु आदेश पारित करवाना होगा। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मोगडा कला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 243 / 1 कुल रकबा 1.9425 हैक्टर यानि रकबा 2 बीघा कृषि

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

भूमि का राजस्व आनॅलाईन नक्शे मे दर्ज तरमीम अनुसा एव मौका फर्द दिनांक 27.01.2023 के अनुसा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली में तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी जो कि कार्यालय तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये क्रमांक/भू.अ./24/54 दिनांक 03.01.2024 के जरिये प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण ग्राम मोगडा कला तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 243/1 कुल रकबा 1.9425 हैक्टेयर कृषि भूमि के एकल खातेदार हैं उपरौक्त खसरो मे से खसरा नम्बर 243/1 का सीमाकन पूर्व मे जरीब चलाकर की गयी जिसमे उसका रकबा 9.10 बीधा प्राप्त हुआ जो कि जमाबन्दी मे दर्ज रकबे 12 बीधा से कम है जो कि खसरा नम्बर 243/1 मे जो रकबा जमाबन्दी अनुसार मौके पर नाप मे कम पड रहा है वह रकबा पडौसी खसरा नम्बर 243 जिसका गुगल सुपरडम्पोज अनुसार रकबा जमाबन्दी मे दर्ज रकबे से अधिक है जो प्रस्तावित होने से नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.2024 अनुसार पाया जाता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम मोगडा कला तहसील लूणी में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 243/1 कुल रकबा 1.9425 हैक्टेयर कृषि भूमि की पटवारी मौका फर्द दिनांक 01.01.2024 अनुसार खसरा संख्या 243 के खातेदार की भूमि का सीमाकंन कर रिकार्ड मे दर्ज रकबे से अधिक होने पर प्रार्थीगण की पत्थरगढी मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित रकबे के अनुसार करवायी जावे। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी